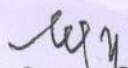


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

—:कार्यालय — आदेश:—

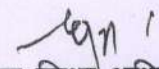
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा दौसा के आदेश क्रमांक जिशिअ/प्राशि/दौसा/सा-2/फा-मान्यता/2012/6450 दिनांक 25.02.2013 के द्वारा संस्था इम्पल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल दौसा (P46634) को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र 2012-13 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए जारी किया गया था। चूंकि वर्तमान में उक्त विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत हो चुका है एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2010 के बाद की मान्यताओं के लिए पुनः आरटीई की मान्यता को लेने/मान्यता को रिन्यू करवाने की शर्त को विलोपित कर दिया गया है।

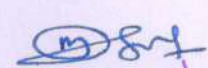
अतः उक्त विद्यालय की आरटीई की मान्यता राज्य सरकार/विभाग के निर्देशानुसार लगातार स्थायी रहेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक दौसा
दिनांक:- 23/05/2023

क्रमांक:- जिशिअ/मु/मा/दौसा/आरटीई/2023/1029
प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
02. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
03. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा।
04. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा दौसा।
05. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
06. संबंधित संस्था इम्पल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल दौसा।
07. रक्षित प्रति।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक दौसा
माध्यमिक मुख्यालय, दौसा


Principal
Impulse Sr. Sec. School
Dausa (Raj.)
School Code-10954


Secretary
Impulse Sr. Sec. School
Dausa (Raj.)

(नियम 3 के अन्तर्गत नियम 4 परीक्षा)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, दौसा, राजस्थान

क्रमांक- जिशिअ/प्राथि/दौसा/सा-2/फा-मान्यता/ 2012/ 6450

दिनांक- 25/2/13

संस्था सचिव

इम्पल्स सी. सें. स्कूल

दौसा

विषय : विभाग 6 के अन्तर्गत 4 अंश अधीन विद्यार्थियों के लिए मा. मा. परमाणु पत्र.

विभाग 6 के अन्तर्गत 21/11/12 और इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों के साथ किये गये परचासयती
के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों में से निम्नलिखित शिक्षा अधिकारी के मा. मा. (विद्यार्थियों का नाम और पता)
इम्पल्स सी. सें. स्कूल, दौसा को 2012-13 में आधारभूत सुविधा संबंधी
सामग्री में 31.03.2013 या शिक्षक योग्यता संबंधी मामलों में 31.03.2015 की परचासयती के लिए कक्षा 1 से 5 तक
1 से 8 के लिए अन्तर्निहित मा. मा. मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

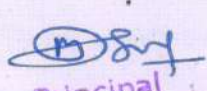
1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा- 1 से आगे मान्यता/समाप्ति की कोई बाधकता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यार्थी, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009) के केंद्रीय अधिनियम सं 38) और राजस्थान विधायक और अधीनस्थ बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में आने वाले विद्यार्थियों को 2009 के अधिनियम के अनुसार उक्त कक्षा की छात्र संख्या के समान या उससे कम छात्रों को कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समुदाय से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छद्म प्रक्रिया का पालन नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आनु के समूह के अन्तर्गत में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:-
 - > विद्यालय में प्रवेश के बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में लेना या विद्यार्थी से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - > कोई बालक शारीरिक दमन या मनोवैयक्तिक उत्पीड़न का पालन नहीं होगा।
 - > किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
 - > प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक बालक को राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अन्तर्गत मा. मा. अधिकाधिक समान पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - > 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्धोषता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाये।
 - > अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) अधीन अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं सहित नहीं किये जायेंगे।

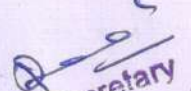
परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तु उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के बाद ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधीन होंगे।

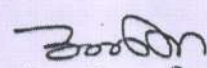
Principal
Impulse Sr. Sec. School
Dausa (Raj.)
Serial Code-10954

Secretary
Impulse Sr. Sec. School
Dausa (Raj.)

- > अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और
- > अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगावेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे।
- अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
 - कुल निर्मित क्षेत्र
 - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
 - कक्षा के कमरों की संख्या
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
 - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर
 - पीने के पानी की सुविधा
 - मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
 - अवरोध मुक्त पहुँच
 - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाएंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगठन या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा : : नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/DA/2012-13/RTÉ/..... 0165.....) है।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को समाप्त कर देने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करे।


Principal
Impulse Sr. Sec. School
Dausa (Raj.)
School Code-10954


Secretary
Impulse School
Dausa (Raj.)


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा दौसा